

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 562 / 2015

दायर दिनांक 29.11.2015

उनवान		
नानालाल	बनाम	लेहरू गाडरी

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88६ 89, 53 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 20.09.2023

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी ने उपस्थित आकर वाद पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन कर वाद नोट प्रेस किया। अतः वकील वादी के निवेदन अनुसार वाद नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अर्चना बुगालिया)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

